# कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

संख्या– 46 /डी0एल0आर0सी0/2019 दिनांक–28 फरवरी, 2020

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता,
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश।

**विषय :–सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–1714/सौं0बा0पे0परि0/अ0पु0ख0ऋ0/2019 दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी डोईवाला को जांचोपरान्त सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण पर उपजिलाधिकारी डोईवाला द्वारा पत्रांक–434/र0का0–2020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 के द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम प्लेड में सौंग बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों में कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से समबन्धित नहीं है।

अतः उपजिलाधिकारी डोईवाला द्वारा प्राप्त उक्त पत्र संख्या–434/र0का0–2020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

(रामजी शरण शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून

COLLECTOR कार्यालय जिलाधीश देहरादून DEHRA DUN

नाम ............... 286 ~~-10|1-~~

क शाखा का नाम

प्रेषक,

तहसीलदार
डोईवाला।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

द्वारा – उप जिलाधिकारी, डोईवाला। दिनांक 22 जनवरी,2020

पत्रांकः 434/र0का0–2020

विषयः– सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम प्लेड में सौंग बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सम्बन्ध में रा0उ0नि0 सनगांव से आख्या मांगी गयी। उनके द्वारा अपनी आख्या में स्पष्ट किया गया कि ग्राम प्लेड में सौंग बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों में कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित नही है।

अतः उक्त सूचना शून्य अंकित करने की कृपा करे।

भवदीय,
22.1.2020
तहसीलदार
डोईवाला।

महोदय,
अग्रसारित।

SDM Doiwala
23/01/20

431
28/1/20

ADM (E)

236

SLAO AJA-III

DM
25.1.2020

ADM (E)

Scanned by CamScanner

15

# कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढवाल।

संख्या–491 / 41–08 (2018–19), दिनांक नई टिहरी 16 जनवरी, 2020.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता ,
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश ।

विषय– **सौंग बॉध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1741 / सौं0बा0पे0परि0 / अ0पु0ख0ऋ0 / 2019, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सौंग बॉध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के संबंध में है। उक्त प्रकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी धनोल्टी से जांच करायी गयी है। उप जिलाधिकारी धनोल्टी ने अपनी जांच रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया है कि तहसील धनोल्टी के राजस्व उप निरीक्षक मठियाणगांव के ग्राम रगड़गांव, घुड़सालगांव व राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ल्वार्खा के ग्राम सौन्दणा के अन्तर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति का काश्तकार नही है।

अतः उक्त प्रकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी धनोल्टी की जांच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अवस्थापना (पु0) खण्ड ऋषिकेश
डायरी संख्या 164
दिनांक 25-01-2020

EE

प्रेषक,

तहसीलदार,
धनोल्टी।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

द्वारा– उपजिलाधिकारी धनोल्टी।

पत्रांक– /रजि.का./विविध–2020/धनोल्टी दिनांक जनवरी 8, 2020

विषय– **सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में प्रभवित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 458/41–08(2018–19) दिनांक नई टिहरी 07 जनवरी 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में प्रभवित क्षेत्र मे अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के संबंध में सूचना चाही गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि तहसील धनोल्टी के रा.उ.नि. मटियाणगांव के ग्राम रगडगांव, धुडसालगांव व राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र ल्वार्खा के ग्राम सौन्दणा के अन्तर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति का कारतकार नही हैं। इस विषय के सम्बन्ध में सूचना शून्य समझी जाय।

अतः सूचना महोदय की सेवामे प्रेषित।

भवदीय

तहसीलदार,
धनोल्टी।

तहसीलदार धनोल्टी की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
धनोल्टी।